फा.सं. 4-181/2019/रा.म.आ.(प्रशा.)-199वीं बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली- 110 025

09 जनवरी, 2019

विषय: आयोग की 199वीं बैठक का कार्यवृत्त।

राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में तारीख 26 दिसंबर, 2019 को आयोग की 199वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न है।

सलंग्न: यथा उपरोक्त

(बर्नाली शोम)
अवर सचिव

प्रति निम्नलिखित को पर्ेषित:

1. अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव
2. उप सचिव, रा.म.आ.
3. प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख/प्रभारी, रा.म.आ.
4. सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, आयोग की वेबसाइट पर कार्यवृत्त अपलॉड करने के लिए
5. कार्यालय प्रति
6. गार्ड फाइल

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 26 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 199वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1.	सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2.	सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3.	सुश्री सोसो शाइजा	सदस्य
4.	सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
5.	सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
6.	सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1.	श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2.	श्रीमती ज्योति सिंघल	उप सचिव
3.	सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4.	सुश्री लोमा वशिष्ठ	वेतन और लेखा अधिकारी
5.	सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
6.	श्री हसीब अहमद	विशेष रिपोर्टर
7.	सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक
8.	सुश्री एम. लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक
9.	श्री बंसी लाल	परामर्शदाता (सहायक)

आरंभ में संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

कार्यसूची मद सं. 199/I/1:

तारीख 21 नवंबर, 2019 को आयोजित आयोग की 198वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 21 नवंबर, 2019 को आयोजित आयोग की 198वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 199/I/2:

तारीख 21 नवंबर, 2019 को आयोजित आयोग की 198वीं बैठक की मदों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

आयोग द्वारा तारीख 24.10.2019 को आयोजित 197वीं बैठक के संबंध में की कार्रवाई रिपोर्ट को नोट कर लिया है। विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के अनुमोदन से संबंधित मद सं. 198/I/16 के संबंध में आयोग को यह सूचित किया कि यह प्रक्रियाधीन है।

कार्यसूची मद सं. 199/I/3:

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में लगे हुए सभी विद्युत पैनल अर्थात् एचटी, एलटी पैनल, डीजी पैनल और फायर पम्प तथा फायर अलार्म प्रणाली की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए शेष भुगतान का निर्मोचन।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और सभी विद्युत पैनल अर्थात् एचटी, एलटी पैनल, डीजी पैनल और फायर पम्प तथा फायर अलार्म प्रणाली की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए मैसर्स एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड को 2,92,917/- रूपये का शेष भुगतान का निर्मोचन करने के लिए आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 199/I/4:

2018-19 के दौरान आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के लिए राष्ट्र-व्यापी प्रतियोगिता की बाबत प्रतिपूर्ति के लिए अनुमोदन।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दूसरी राष्ट्र–व्यापी विधिक प्रतियोगिता में महाविद्यालयों आदि द्वारा भाग लेने के लिए उनकी प्रतिपूर्ति के

लिए 10,01,463/- रूपये के व्यय के लिए आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 199/I/5:

वर्ष 2017-18 के दौरान 4 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ओडिसा राज्य महिला आयोग को दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 1,89,480/- रूपये (केवल एक लाख उन्नासी हजार चार सौ अस्सी रूपये) का निर्मोचन।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और 3,89,480/- रूपये की कुल लागत पर 4 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में ओडिसा राज्य महिला आयोग को 1,89,480/- रूपये (केवल एक लाख उन्नासी हजार चार सौ अस्सी रूपये) का निर्मोचन करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 199/I/6:

वर्ष 2017-18 के दौरान 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नागालैंड राज्य महिला आयोग को दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 3,00,000/- रूपये (केवल तीन लाख रूपये) का निर्मोचन।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और 6,00,000/- रूपये की कुल लागत पर 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में नागालैंड राज्य महिला आयोग को 3,00,000/- रूपये (केवल तीन लाख रूपये) का निर्मोचन करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 199/I/7:

वर्ष 2017-18 के दौरान 5 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मिजोरम राज्य महिला आयोग को दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 60,000/- रूपये (केवल साठ हजार रूपये) का निर्मोचन।

आयोग ने विचार-विमर्श किया और 3,60,000/- रूपये की कुल लागत पर 3 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में मिजोरम राज्य महिला आयोग को 60,000/- रूपये (केवल साठ हजार रूपये) का निर्मोचन करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 199/I/8:

आंकाक्षापूर्ण जिलों की रिपोर्टों में की गई टीका/टिप्पणी/सिफारिश का अनुसमर्थन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और 5 राज्यों में आकांक्षापूर्ण जिलों की रिपोर्टों में की गई टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ और समेकित रिपोर्ट को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय/पीएओ/नीति आयोग/संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 199/I/9:

फा.सं. 15/149/2019-20/रा.म.आ.(एसएम) और फा.सं. 15/156/2019-20/रा.म.आ.(एसएम) की जांच समिति की रिपोर्ट

आयोग ने विचार-विमर्श किया और ''36 वर्षीय आश्रयगृह की संवासी को जबरदस्ती कार में बिठाया और सामूहिक बलात्संग करने'' और ''हैदराबाद के पास 26 वर्षीय पशु चिकित्सक डाक्टर का यान खराब हो जाने के पश्चात् उसकी हत्या करके जलाया'' शीर्षक नामक प्रेस रिपोर्टों की स्व प्रेरणा से संज्ञान लेने से संबंधित मामलों पर जांच समितियों की रिपोर्टों को नोट किया।

कार्यसूची मद सं. 199/I/10:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश किए गए सेमिनार प्रस्तावों (04.11.2019-22.11.2019) का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

1. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 33 सेमिनारों के चयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन।
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए चयनित 33 सेमिनारों के लिए वित्तीय अनुमोदन, जिसमें 81,16,600/- रूपये (केवल इक्कासी लाख सोलह हजार छह सौ रूपये) का व्यय हो सकता है। कुल रकम में से, आयोग, अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने के पश्चात् पहली किश्त के रूप में 50 प्रतिशत जो कि 40,58,800/- रूपये (केवल चालीस लाख अट्ठावन हजार आठ सौ रूपये) है निर्मोचित कर सकता हे।

कार्यसूची मद सं. 199/I/11:

राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) को पटल पर रखना।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

i) आयोग द्वारा तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) का आयोग का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन
ii) राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट (2018-19) को संसद में रखने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को प्रेषित करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन ।

कार्यसूची मद सं. 199/II/1:

तारीख 30.11.2019 तक उपगत व्यय

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख 30.11.2019 तक की व्यय विवरणी को नोट कर लिया है। आयोग को यह सूचित किया गया कि मंत्रालय में मीडिया रिपोर्ट के लंबित रहने के कारण व्यय का भुगतान करने में देरी हुई। इसके अलावा सामान्यतया अनुसंधान, सेमिनार और विधिक जागरूकता जैसे कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष की तीसरी या चौथी तिमाही में रकम निर्मोचित की जाती है। यह भी

जानकारी दी गई कि पीएफएमएस से संस्थानों को जोड़ने से रकम का निर्मोचन करने में कठिनाई हो रही है।

कार्यसूची मद सं. 199/II/2:

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की बाबत मासिक रिपोर्ट (नवंबर, 2019) को नोट कर लिया है।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

(ए. अशोली चलाई)	**(रेखा शर्मा)**
संयुक्त सचिव	**अध्यक्ष**